E-Mail

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**
**संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–05/2024**.........13159 दि0 05/08/2024

**आदेश**

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं0–685 दिनांक–06.02.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री घनश्याम कुमार, (Emp. ID No.- AEN00564), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार द्वारा ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

श्री घनश्याम कुमार के नियोजन उपरान्त इनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच/सत्यापन के क्रम में पाया गया कि इनका शैक्षणिक प्रमाण–पत्र प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न अर्थात् Diploma in Civil Engineering के स्थान पर Surveyor का है, जो प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न है।

निर्धारित न्यूनतम योग्यता से भिन्न प्रमाण–पत्र दाखिल कर नियोजन प्राप्त किये जाने के विरूद्ध भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिनांक–07.07.2023 को अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अपीलार्थी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण दाखिल किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ऑनलाईन प्रशिक्षण के दौरान बताया गया था कि विशेष सर्वेक्षण अमीन और अमीन पद में कोई अन्तर नहीं है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिए गए तर्कों को अस्वीकार करते हुए भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी के कथन, अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील एवं संलग्न अभिलेख की विवेचना किया गया, विवेचनोपरान्त पाया कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2019 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित किया गया है तथा मैट्रिक एवं Diploma in Civil Engineering परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना कर नियोजन करने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से भिन्न Surveyor की परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना कर नियोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या–685 दिनांक–06.02.2024 में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का दावा अमान्य। अपीलवाद अस्वीकृत।

**ह0/–**
**अपर मुख्य सचिव–सह–**
**अपीलीय प्राधिकार**

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

E-Mail

**ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–05/2024**...13159.......**पटना, दिनांक :–** 05/08/2024

**प्रतिलिपिः–** श्री घनश्याम कुमार, (Emp. ID No.- AEN00564), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार, Email ID- ghanshyamkumar.cpr@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

05.08.24

**उप निदेशक–सह–**
**निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–05 / 2024 13159 पटना, दिनांक :– 05/08/2024
प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–05 / 2024 13159 पटना, दिनांक :– 05/08/2024
प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/8/24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–05 / 2024 13159 पटना, दिनांक :– 05/08/2024
प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–05 / 2024 13159 पटना, दिनांक :– 05/08/2024
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/8/24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–05 / 2024 13159 पटना, दिनांक :– 05/08/2024
प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/8/24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप